

130

राजस्थान सरकार  
औषधि निगंत्रण समन्तन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक डीसी-2/ए-1/अनो/12/1804  
समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।  
समस्त औषधि निगंत्रण अधिकारी, जयपुर।

दिनांक 24/9/12

**अलर्ट नोटिस**


विषय - **Illegal import of Vitamin APIs at Chennai ports-  
reg. and Missing of Blood Bags during  
transportation- M/s. Mitra Industries Private Limited,  
14/4, Delhi-Mathura Road, Faridabad.**

औषधि निगंत्रक(भारत), एफओडीओ भवन कोटला रोड, आईटीओ, नई दिल्ली ने उनके पत्र क्रमांक **Import/misc/2011-DCI(General Matters) dated 13-8-12** के द्वारा निर्णांकित **Illegal import of Vitamin APIs at Chennai ports** के बाबत सूचना प्रेषित की है :-

- 1- Calcium D Pantothenate granular
- 2- Calcium D Pantothenate feed grade
- 3- Calcium D Pantothenate 98% feed grade
- 4- Folic Acid Feed grade
- 5- Folic acid pallets
- 6- Pyridoxine Hcl (food grade)
- 7- Pyridoxine Hcl food grade (not for medicinal use)
- 8- Pyridoxine Hcl fine powder (food grade)
- 9- Pyridoxine Hcl FCC (food grade)
- 10- Vitamin B6

राज्य की राज्य औषधि निगंत्रक हरियाणा ने उनके पत्र क्रमांक 3/76-4  
इग1-2012/15/0-9/ दिनांक 22.8.2012 के साथ मेड मित्रा इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि., 14/4,  
दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा के पत्र क्रमांक **MIPL/DRUG/10A DATED  
24-7-2012** की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित कर अवगत कराया है कि 780 ब्लड बैग्स **Triple  
CPD/SAG-III, B.No. BB1206115 transportation** के दौरान चोरी हो गये हैं।


अतः आप पूरे राज्य में अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/सतर्कता बरतते हुये  
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र आवश्यक  
कार्यवाही कर से सूचित करें।

  
औषधि निगंत्रक,  
राजस्थान, जयपुर।  
दिनांक

क्रमांक डीसी-2/ए-1/अनो/12/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. औषधि निगंत्रक(भारत), एफओडीओ भवन कोटला रोड, आईटीओ, नई दिल्ली को उनके पत्र  
क्रमांक **Import/misc/2011-DCI(General Matters) dated 13-8-2012** के सन्दर्भ में।
2. राज्य औषधि निगंत्रक, एफओडीओ हरियाणा, एराउसीओ 94, सैक्टर 5, पंचकुला को उनके पत्र  
क्रमांक 3/76-4 इग1-2012/7570-97 दिनांक 22.8.2012 के सन्दर्भ में।
3. कार्यकारी निदेशक, आरएणएफएसीओ, मुख्यालय।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य/पाको/आईईसी/एएस/एमएसओ/ईएसओआईओ), चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य सेवाएँ, राजो जयपुर।
5. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी / समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
7. प्रभावी सर्वर कम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति  
**e-mail** से भी भिजवावे तथा **Drugs Control** में विभागीय **Website** पर **upload** करने का  
श्रम करें।
8. संक्षेप पत्रवली।

  
औषधि निगंत्रक,  
राजस्थान, जयपुर।